

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 270/2025

राजेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

- |   |   |                       |
|---|---|-----------------------|
| 1. बुधराम पुत्र रामजस उर्फ जसराम                | } | जति समस्त बिश्नोई     |
| 2. राधा पुत्री बुधराम पत्नी हसंराज              |   | निवासीगण संगरिया      |
| 3. अंगूरी पुत्री बुधराम पत्नी देवीलाल           |   | तहसील संगरिया         |
| 4. शोभा पुत्री बुधराम पत्नी विनोद कुमार         |   | जिला हनुमानगढ़ (राज.) |
| 5. सावित्री पुत्री बुधराम पत्नी सुरेन्द्र कुमार |   |                       |
| 6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया                    |   |                       |


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हरबंश झोरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री परविन्द्र सिंह वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 आरटीपी प्रथम खाता संख्या 27/24 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 मे प्रतिवादी संख्या 1 बुधराम पुत्र रामजस के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम को 1.100 है. आराजी का खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.......... नल.......... मुब्लिक.......... निल.......... बाबत.......... निल.......... खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........  
अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-2025 को जारी किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
प्रकरण संख्या 270/2025  
संगरिया